सरकार बनाम हरसहाय

4.07.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी हरसहाय पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी कमालपुरा को ग्राम कमालपुरा में स्थित खसरा नम्बर 2003/6 रकबा 5 बिघा दिनांक 20.01.1985 को आवंटन की गई थी। जिसका हाल खसरा नम्बर 2483 रकबा 0.52 है0 है। जिस पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण उक्त आंवटन निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कही भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी